न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र संख्याः—74 / 2015

रेवती प्रसाद पुत्र दौजीराम, जाति लोधा निवासी जघीना तहसील व जिला भरतपुर। .....**प्रार्थी**

बनाम

1. भीमा
2. मानसिंह
3. मनोज पुत्र धनसिंह

पुत्रगण फत्ते जातियान लोधा, निवासी ग्राम जघीना, तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

आदेश

दिनांकः— 26—11—2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए. विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि साविक खसरा नंबर 4077 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम जघीना तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है। बंदोबस्त विभाग ने हाल खसरा नंबर 4562 / 0.07 हैक्टेयर बनाया है, जिसको गणेश पुत्र हरना के नाम कर दिया है। वर्तमान में फत्ते के इन्द्राज हैं, जिस पर प्रार्थी को खातेदार घोषित किया जावे। दिनांक 23.08.2015 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी है। प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में साबित है। अंत में प्रार्थी द्वारा

अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा है और अपना शपथ पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नाटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों को नकारते हुए अपना जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में अंकित किया है कि खसरा नंबर 4078 का खातेदार हप्पी था। लेकिन 4078 के स्थान पर खसरा नंबर 4077 रकबा 14 बिस्वा दर्ज कर दिया है। खसरा नंबर 4077 गणेशी पुत्र हरना का है। प्रार्थना पत्र तंग व परेशान करने की नीयत से पेश किया गया है। अंत में अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुतोष चाहा है। अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 भीमा का शपथ पत्र अपने जवाब के समर्थन में पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में हाल जमाबंदी खसरा भू–प्रबन्ध विभाग, मिलान क्षेत्रफल खेवट खतौनी तथा दौराने बहस साविक व हाल नक्शा, मिलान क्षेत्रफल व साविक जमाबंदी की प्रति पेश की है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा जमाबंदी संवत् 2022, खसरा मिलान व खसरा परिवर्तनशील की प्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी व उनके द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किया। बिंदुवार विवेचन निम्नानुसार है –

1. **प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :–** प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि खसरा नंबर 4077 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम जघीना से हाल खसरा नंबर 4562/0.07 हैक्टेयर बनाया है जो अप्रार्थी के नाम कर दिया है, जबकि पूर्व में यह खसरा नम्बर उनके पूर्वजों के खातेदारी में था। जिसको अप्रार्थीगण रहन, वय, मुन्तकिल करने की व प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी देते हैं। जवाब में अप्रार्थीगण द्वारा कहा गया है कि हाल खसरा नम्बर 4562/0.07 साविक खसरा नंबर 4077 से बनाया गया है एवं

खसरा नम्बर 4078 पर हप्पी खातेदार दर्ज था व खसरा नंबर 4077 पर गणेशी का नाम दर्ज था। उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह प्रमाणित होता है कि कि सविक नक्शा एवं हाल नक्शा के अनुसार हाल में बनाया गया खसरा नंबर 4562 की आकृति सविक खसरा नंबर 4078 से हूबहू मिलना प्रतीत होती है। और खसरा नंबर 4078 प्रार्थी व उसके पूर्वज हप्पी की खातेदारी में रहा है जिसको अप्रार्थी ने अस्वीकार भी नहीं किया है। उक्त तथ्य का प्रमाण मौका पर्चा जो हलका पटवारी द्वारा तहसीलदार भरतपुर के आदेश कमांक 852–853 दिनांक 11.09.2017 व 893–894 दिनांक 22.09.2017 से भी प्रमाणित है। हाल खसरा नंबर 4562 व 4554 के मध्य मेड मौके पर नही है एवं ये दोनो नम्बर आपस में मिले हुए हैं। खसरा नंबर 4562 व 4554 पर कब्जा प्रार्थी रेवती प्रसाद का है और वह अपने पूर्वजों के समय से ही आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। जिससे यह तथ्य साबित हो जाता है कि हाल खसरा नंबर 4562 पर कब्जा प्रार्थी का है और यह खसरा नंबर विधिक रूप से प्रार्थी के खसरा नंबर 4078 रकबा 5 बिस्वा से मौके के अनुसार बना है। यद्यपि मिलान क्षेत्रफल में खसरा नंबर 4562 सविक खसरा नंबर 4077 से बनना दर्शित किया है लेकिन बंदोबस्त विभाग ने यह कार्य त्रुटिपूर्ण तरीके से किया है। जबकि खसरा नंबर 4562 को बंदोबस्त विभाग को 4078 से निर्मित करना चाहिए था। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि प्रार्थी का सविक खसरा नंबर 4078 रकबा 5 बिस्वा का समतुल्य रकबा 4 एयर होता है। जबकि खसरा नंबर 4562/0.07 हैक्टेयर बनाया जो गत के मुकाबले 3 एयर रकबा वेशी है। प्रार्थी 4 एयर की हद तक अपना क्लेम प्रथम दृष्ट्या साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थी खसरा नंबर 4562 में 4 एयर में अपना कब्जा भी साबित करने में सफल रहा है। यह तथ्य कि खसरा नंबर 4562 सविक खसरा नंबर 4077 से निर्मित नहीं हुआ, बल्कि 4078 से निर्मित हुआ है जो मूल दावा के निस्तारण में तय होना है। चूंकि प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी अपना कब्जा सिद्ध करने में सफल रहा है इस कारण प्रथम दृष्ट्या वहक प्रार्थी तय किया जाता है।

2. **सुविधा व संतुलन** :– हाल खसरा नंबर 4562 सविक खसरा नंबर 4078 से मौके के अनुसार बना है। सविक खसरा नंबर

4078 प्रार्थी व उसके पूर्वज हप्पी की खातेदारी का रहा है लेकिन हाल खसरा नंबर 4562 पर मौके से विपरीत अप्रार्थीगण को खातेदार हाल रिकॉर्ड में बंदोबस्त द्वारा दर्ज कर दिया है। लेकिन प्रार्थी की कब्जा काश्त होना बिंदु संख्या 1 के अनुसार साबित किया जा चुका है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन वहक प्रार्थी साबित है।

3. **अपूरणीय क्षति :–** चूंकि आराजी पर कब्जा काश्त प्रार्थी सिद्ध करने में सफल रहा है। यदि अप्रार्थीगण हाल रिकॉर्ड में इन्द्राज के आधार पर आराजी को खुर्द–बुर्द अथवा प्रार्थी को बेदखल कर देते हैं तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को होना स्वाभाविक है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी.ए. स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम जघीना नम्बर 2 तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 4562/0.07 हैक्टेयर के बावत् ताफैसला मूलवाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें व मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official